


राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/13/

दिनांक :

आदेश

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2013-14 में जिन अभ्यर्थियों को राजकीय एवं निजी संस्थान आवंटित किये गये थे तत्पश्चात् राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् उच्च मेरिट प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय केन्द्रों पर रिक्त सीट उपलब्ध होने पर सीट पुर्नचयन का अवसर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो पुर्नचयन में अन्यत्र सीट आवंटित करवाते हैं को आवंटन पत्र अनुसार नवीन संस्था में प्रशिक्षण ज्वाइन करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करेंगे।



(डॉ. के.सी. मीणा)
संयुक्त निदेशक (प्रशि.)

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/13/ 789

दिनांक : 18/12/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर उदयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर, भरतपुर, भीलवाडा, बाडमेर, पाली, जालौर, श्रीगंगानगर, सीकर, बांसवाडा।
5. समस्त निजी नर्सिंग स्कूल्स, राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(डॉ. के.सी. मीणा)
संयुक्त निदेशक (प्रशि.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर